(19)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
03/2016/प्रा.पत्र/2016	08.01.2016	31.05.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–इन्चार्ज श्री महेश चन्द सुवालका पुत्र प्रेमचंद सुवालका जाति कलाल निवासी दूनी जिला टोंक मैसर्स मैत्री महिला डेयरी एण्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कम्पनी नैनवा रोड उनियारा जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 31.05.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.09.2015 को समय 3.30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैत्री महिला डेयरी एण्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कम्पनी नैनवा रोड उनियारा जिला टोंक पर पहुंचां। इन्चार्ज की हैसियत से महेश चन्द सुवालका पुत्र प्रेमचंद सुवालका जाति कलाल निवासी दूनी जिला टोंक मैसर्स मैत्री महिला डेयरी एण्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कम्पनी नैनवा रोड उनियारा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का इन्चार्ज होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे आईस बॉक्स मे 25 पैकेट प्रत्येक 500 मिलीग्राम के **फ्रेश एण्ड फुल क्रीम मिल्क मैत्री फ्रेश** रखा था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. इन्चार्ज श्री महेश चन्द सुवालका को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता महेश चन्द सुवालका एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे आईस बॉक्स मे 25 पैकेट प्रत्येक 500 मिलीग्राम के **फ्रेश एण्ड फुल क्रीम मिल्क मैत्री फ्रेश** मे से 4 मूल पैकेट कुल 2 लीटर दूध वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत इन्चार्ज. श्री महेश चन्द सुवालका को रू0 80/–अक्षरे अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **फ्रेश एण्ड फुल क्रीम मिल्क मैत्री फ्रेश** को वातावरण के समान तापमान पर आने पर हिला–मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर चारो मूल पैकेटो को खोलकर एक स्टील के जंग मे लेकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ एंव सूखी प्लास्टिक की बोतलो मे बराबर–बराबर भरकर चार भाग तैयार कर 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर प्रत्येक शिशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बंद कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1092 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

818

(मोहर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक)

Scanned by CamScanner

(30)

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1092 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर इन्चार्ज, महेश चंद सुवालका के हस्ताक्षर नियमानुसार इंस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए. / 15 / 4416 दिनांक 26.11.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 619 / एक्ट / 2015 / 619 दिनांक 22.09.2015 अनुसार महेश चंद सुवालका से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **फ्रेश एण्ड फुल क्रीम मिल्क मैत्री फ्रेश खाद्य** सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard) / मिथ्याछाप (Mis-branded)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard) / मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का **फ्रेश एण्ड फुल क्रीम मिल्क मैत्री फ्रेश** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **फ्रेश एण्ड फुल क्रीम मिल्क मैत्री फ्रेश** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard) / मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **फ्रेश एण्ड फुल क्रीम मिल्क मैत्री फ्रेश** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard) / मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)अप्रार्थी महेश चन्द सुवालका पुत्र प्रेमचंद सुवालका जाति कलाल निवासी दूनी जिला टोंक मैसर्स मैत्री महिला डेयरी एण्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कम्पनी नैनवा रोड उनियारा जिला टोंक

पर शास्ती 21,000 / – (अक्षरे इक्कीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 31.05.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner